रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1541] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2016/ज्येष्ठ 30, 1938
No. 1541] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2016/JYAISTHA 30, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून , 2016

का.आ. 2154(अ).- केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (छ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के लिए पूर्वोक्त खंड में निर्दिष्ट सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री सक्षम प्राधिकारी होगा :

परंतु यदि उक्त खंड (छ) में निर्दिष्ट सोसाइटी या व्यक्तियों का संगम या न्यास को सरकार के एक से अधिक मंत्रालयों या विभागों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तो उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, जिसका उक्त सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास को वित्तीय सहायता के रूप में अभिदाय उस वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी की घोषणा फाइल की जा रही है, अधिकतम है, उस विशिष्ट वर्ष के दौरान ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास के संबंध में सक्षम प्राधिकारी होगा ।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(i) वित्तीय सहायता के रूप में अधिकतम अभिदाय करने वाले मंत्रालय या विभाग के समक्ष मूल घोषणा या वार्षिक विवरणी फाइल की जा सकेगी और विवरणी की एक प्रति ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास को वित्तपोषित करने वाले सभी अन्य मंत्रालयों या विभागों को भेजी जा सकेगी ;

(ii) पैरा 1 में निर्दिष्ट लोक सेवकों के प्रवर्ग द्वारा वार्षिक विवरणी तब तक फाइल किया जाना जारी रहेगा जब तक ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास को अनुज्ञात संपूर्ण वित्तीय सहायता का उन प्रयोजनों के लिए पूर्णया उपयोग नहीं कर लिया जाता है, जिसके लिए वह अनुज्ञात की गई थी ;

(iii) सक्षम प्राधिकारी, जिसके पास ऐसी वार्षिक विवरणी फाइल की जानी है, मंत्रालय या विभाग के आधार पर, जिसका उस वर्ष उक्त सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास को वित्तीय सहायता के रूप में अभिदाय अधिकतम है, वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकेगा ;

(iv) "प्रत्येक अन्य सोसाइटी" अभिव्यक्ति से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नहीं आती है ।

[फा. सं. 407/02/2016-एवीडी-IV(लोकपाल)भाग-2]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2016

S.O.2154(E).— In exercise of the powers conferred under sub-clause (vii) of sub-section (1) of section 2 read with clause (g) of sub-section (1) of section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies that for any person referred to in clause (g) of sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Minister-in-charge of the Ministry or Department of the Government of India providing financial assistance to any society, association of persons or trust, referred to in the aforesaid clause, shall be the competent authority:

Provided that if a society or association of persons or trust, referred to in the said clause (g) is financed by more than one Ministries or Departments of the Government, the Minister-in-charge of the Ministry or Department, whose contribution as financial assistance to the said society or association of persons or trust is highest in the year for which declaration or annual return is being filed, shall be the competent authority in respect of such society or association of persons or trust during that particular year.

2. For the purposes of this notification,-

(i) the original declaration or annual return may be filed before the Ministry or Department making the highest contribution as financial assistance and a copy of the return may be sent to all other Ministries or Departments financing such society or association of persons or trust;

(ii) the annual returns shall continue to be filed by the category of public servants referred to in paragraph (1), till such time the entire financial assistance allowed to such society or association of persons or trust stands fully utilised for the purposes for which it was allowed;

(iii) the competent authority with which such annual return is to be filed may vary from year to year based on the Ministry or the Department whose contribution as financial assistance to the said society or association of persons or trust is highest in that year;

(iv) the expression "every other society" means a society not covered under clause (f) of sub-section (1) of section 14 of the said Act.

[F.No.407/02/2016-AVD-IV(Lokpal)Pt.2]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.